कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: 2782 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–17 / स्था0, दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाहन चालक संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार / 06.03.1960 / देहरादून	सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी	अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश	अधिनियम की धारा–13(8) मे निहित प्राविधान अनुसार स्थानान्तरित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रैषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

पत्रांक: 2782 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषिकेश।
4. अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश।
5. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वैयक्तिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. विभागीय पोर्टल / बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
8. कट फाईल।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः 3596/प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–17/स्था0, दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाहन चालक संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
	2	3	4	5
1	श्री धर्म चन्द्र/03.01.1969/ पौड़ी	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी	अधिनियम की धारा–13(1) में निहित प्राविधान अनुसार स्थानान्तरित।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

पत्रांकः 3596/प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, सिंचाई विभाग, श्रीनगर/हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर/नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, दुगड्डा।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वैयक्तिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. विभागीय पोर्टल/बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता